रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 1987/आषाढ़ 1, 1909
No. 132] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 1987/ASADHA 1, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 192 आईटीसी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 22 जून, 1987

विषय: अप्रैल, 1985—मार्च 1988 के लिए आयात एवं निर्यात नीति।

फा. सं. 9/27/87-ईपीसी.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आईटीसी (पी एन)/85—88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अधीन प्रकाशित यथासंशोधित आयात एवं निर्यात नीति अप्रैल 1985—मार्च, 1988 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं०	आयात एवं निर्यात नीति 1985-88 खंड 1 के पृष्ठ सं	संदर्भ	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	290	परिशिष्ट-19 उप पैरा-23(2)	इस उप पैरे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— (2) ऐसे नियमित निर्यातकों के मामले में जिनका तीन वर्षों का संतोषजनक निर्यात निष्पादन है वहां क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी निर्यात आभार की वृद्धि के लिए ऐसी अवधि के लिए गुण दोष के आधार पर विचार कर सकते हैं जो तीन महीने से अधिक नहीं हो। ऐसे मामलों में, क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समितियां छः महीने के लिए और आगे वृद्धि दे सकती हैं। निर्यात आभार अवधि में वृद्धि करने के लिए अन्य निर्यातकों के आवेदनों के मामले में केवल क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंस समितियों द्वारा केवल 6 महीने की अवधि के लिए विचार किया जा सकता है। सामान्यतः इस अवधि के बाद निर्यात आभार के लिए और कोई आगे वृद्धि नहीं दी जाएगी। तथापि, विशेष मामलों में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में अग्रिम लाइसेंस समिति निर्यात आभार अवधि में और आगे वृद्धि देने के लिए प्रत्येक ऐसे मामले के गुण दोषों को ध्यान में रखकर विचार कर सकती है। निर्यात उत्पाद कैसेट (ऑडियो या विडियो) के मामले में, किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्थिति के अधीन निर्यात आभार के लिए कोई भी वृद्धि नहीं दी जाएगी।

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

मंजुला सुब्रह्मणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 192-ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 22nd June, 1987

Subject:-Import & Export Policy for April 1985—March 1988.

F. No. 9/27/87-EPC:— Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC (PN)/85—88 dated the 12th April 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy (1985-88 Vol. I)	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	290	Appendix-19 Sub-para 23(2)	This sub-para shall be substituted by the following:— "(2) In the case of regular exporters having three years past export performance, the Regional Licensing Authorities may consider, on merit extension of the export obligation for a period not exceeding three months. In such cases, the Regional Advance Licensing Committees may consider further extension up to six months. In the case of other exporters requests for extension in the export obligation period can be considered only by Regional Advance Licensing Committees up to a period of six months. Normally, no further extension of export obligation would be granted beyond this period. However, in exceptional cases, the Advance Licensing Committee in the Office of CCI&E, New Delhi may consider grant of further extension in the export obligation period, on the merits of each such case. In the case of export product cassettes (Audio or Video), no extension of export obligation will be granted under any circumstances by any authority."

3. The above amendments have been made in Public interest.

R.L. MISRA,
Chief Controller of Imports & Exports

MANJULA SUBRAMANIAM, Joint Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987